Bill No. 28 of 2013

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2013

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 2nd August, 2013.

2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 3 of 1955.- In the proviso to sub-section (1) of section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), after the existing expression "or any authority appointed by it" and before the existing expression ",a holder of Khudkasht", the expression "or for the purpose of plantation of *Prosopis Juliflora* or any other like plantation to be used for generation of electricity" shall be inserted.

3. **Repeal and savings.**- (1) The Rajasthan Tenacy (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 18 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Proviso to sub-section (1) of 45 of the Rajasthan Tenancy Act,1955 provides that for the purpose of agricultural operations in connection with such agro-processing and agri-business enterprises as may be approved in the prescribed manner by the State Government or any authority appointed by it, a holder of Khudkasht or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term of fifteen years and may extend such lease or sub-lease for a further period of fifteen years.

To make easy availability of agricultural land for the purpose of plantation of *Prosopis Juliflora* or any other like plantation to be used for generation of electricity it had been decided to amend the aforesaid proviso to sub-section (1) of section 45.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 18 of 2013) on 2nd August, 2013, which was published in the Rajasthan Gazette, Part IV (B) Extraordinary, dated 5th August, 2013.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

हेमाराम चौधरी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955
(Act No. 3 of 1955)

XX XX XX XX XX

45. Restrictions on letting and sub-letting.- (1) No holder of Khudkasht or a land owner shall let and no Khatedar tenant or his mortgagee shall sub-let the whole or any part of his holding at any one time for a term exceeding five years:

Provided that for the purpose of agricultural operations in connection with such agro-processing and agri-business enterprises as may be approved in the prescribed manner by the State Government or any authority appointed by it, a holder of Khudkasht or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term of fifteen years and may extend such lease or sub-lease for a further period of fifteen years.

(2) to (4) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2013 का विधेयक सं.28

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 2 अगस्त, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 45 का संशोधन.- राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 45 की उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "के प्रयोजन के लिए" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ",खुदकाश्त का धारक" के पूर्व अभिव्यक्ति "या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले इसी प्रकार के किसी भी अन्य पौधे के रोपण के प्रयोजन के लिए" अंत:स्थापित की जायेगी।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 18) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 45 की उप-धारा (1) का परन्तुक यह उपबंधित करता है कि ऐसे कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारबार उद्यम, जो राज्य सरकार या इसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित किये जायें, से संबंधित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए, खुदकाश्त का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर या खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर, अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को पन्द्रह वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विद्युत के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले किसी भी प्रकार के अन्य पौधे के रोपण के प्रयोजन के लिए कृषि भूमि की उपलब्धता आसान बनाने के लिए धारा 45 की उप-धारा (1) के उपरोक्त परन्तुक को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया था ।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए, उन्होंने 2 अगस्त, 2013 को राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 18) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 5 अगस्त, 2013 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

हेमाराम चौधरी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955
(1955 का अधिनियम सं. 3) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

45. पट्टे या उप-पट्टे पर देने का निर्बन्धन.- (1) खुदकाश्त का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर तथा खातेदार अभिधारी या उसका बन्धकदार उप-पट्टे पर अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को एक बार में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं देगा:

परन्तु ऐसे कृषि-प्रसंस्करण और कृषि कारबार उद्यम, जो राज्य सरकार या इसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित किये जायें, से संबंधित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए, खुदकाश्त का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर या खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर, अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को पन्द्रह वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) से (4) **XX XX XX XX XX XX**

XX XX XX XX XX XX

2013 का विधेयक सं.28

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 28 of 2013

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Hemaram Chaudhary, **Minister-Incharge**)